राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ई–33/दंत टैक्नी/(एफ–674)/2019/ दिनाँक :

आदेश

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक अराज/सामान्य/2019/578 दिनाँक 26.06.2018 के द्वारा श्री गोपाल लाल शर्मा, दन्त टैक्नीशियन का स्थानान्तरण/पदस्थापन सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर से सेटेलाईट अस्पताल, मण्डोर, जोधपुर किया गया हैं। इस आदेश के विरूद्ध श्री शर्मा द्वारा मा. अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3917/2018 दायर की गई। जिस पर मा.अधिकरण के आदेश दिनाँक 06.11.2018 के निर्देशों की पालना में अपीलार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षकर्ता के समक्ष दिनाँक 26.11.2018 को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। जिसे निदेशालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 77 दिनाँक 28.01.2019 के द्वारा अस्वीकार करते हुये प्रकरण का निस्तारण किया गया।

उक्त आदेश के विरूद्ध श्री गोपाल लाल शर्मा द्वारा मा.उच्च न्यायालय, जोधपुर में एसबी सिविल रिट संख्या 8790/2019 दायर की गई, जिसमें मा.न्यायालय द्वारा दिनाँक 21.06.2019 को निम्नानुसार निर्णय पारित किया :–

"In light of such statement, the present writ pitition is disposed of with direction to the respondents to decide the represntation of the petitioner by passing a speaking order within period of 30 days from today strictly in accorndance with low."

याचिकाकर्ता द्वारा मा.उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनाँक 21.06.2019 की पालना में निदेशालय में दिनाँक 02.07.2019 को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें याचिकाकर्ता ने अवगत करवाया कि उनकी पत्नी Rheumatoid arthritis की बीमारी से ग्रसित हैं। साथ ही इन्हे कई प्रकार की बीमारियां होने के कारण कई ऑपरेशन भी हो चुके हैं, जैसे Fissure, fistula & Gynac आदि। याचिकाकर्ता द्वारा इन बीमारियों से संबंधित दस्तावेज इत्यादि संलग्न कर निदेशालय के आदेश क्रमांक अराज/सामान्य/2019/578 दिनाँक 26.06.2018 के द्वारा किया गया स्थानान्तरण निरस्त कर यथावत सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में रखे जाने हेतु निवेदन किया हैं।

मा.उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनाँक 21.06.2019 की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर मनन/अध्ययन करने के पश्चात प्रार्थी के पत्नी की गंभीर बीमारी एवं पारिवारिक परिस्थितियों के मध्यनजर अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अभ्यावेदन को एतद् द्वारा स्वीकार किया जाता हैं। यदि याचिकाकर्ता द्वारा स्थानान्तरित स्थान सेटेलाईट चिकित्सालय, मण्डोर, जोधपुर में कार्यग्रहण नही किया हो तो ये यथावत पूर्व की भांति सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में ही कार्यरत रहेगें।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राजस्थान जयपुर

J.Gaur

क्रमांक : ई–33 / दंत टैक्नी / (एफ–674) / 2019 / 413 दिनाँक : 05/07/19

प्रतिलिपी निम्नलिखित का वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. उप विधि परामर्शी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान जयपुर।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर / जोधपुर।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, संभाग–जोधपुर।
5. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
6. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सेटेलाईट चिकित्सालय, मण्डोर, जोधपुर।
7. श्री गोपाल शर्मा, दन्त टैक्नीशियन (याचिकाकर्ता) को रिट में उल्लेखित पता पर।
8. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
9. आदेश / रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राजस्थान जयपुर

J.Gaur